5 रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल

1. ग्लेडविन मसीह आ. गुलजार मसीह, (फौत)
   अ- जार्जविन आ. स्व.ग्लेडविन मसीह, उम्र- 52 साल,
   ब- अगस्टीन आ. स्व.ग्लेडविन मसीह, उम्र- 50 साल,
   स- आरविन आ. स्व.ग्लेडविन मसीह, उम्र- 47 साल,
   द- एलविन पुत्री स्व.ग्लेडविन मसीह, उम्र- 38 साल,
   सभी निवासी- सरदारवार्ड सोहागपुर,
2. राकेश मसीह आ. एडविन मसीह, आयु 55 साल,
   निवासी- सरदारवार्ड सोहागपुर, तह.-सोहागपुर, जिला- होशंगाबाद।

विरूद्ध

दयावती पुत्री गुलजार मसीह पत्नि नूलचंद गुरे
निवासी- उपाध्याय बिल्डिंग होशंगाबाद।

अंतर्गत धारा- 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता।

पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से विनय हैं :-

(न्यायालय तहसीलदार सोहागपुर के रा.प्र.क.-88अ-6(2)वर्ष 2017-18 में पारित आदेश दिनॉक- 22/01/2019 के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका)

प्रकरण के तथ्य :- यह कि दयावती द्वारा एक आवेदन पत्र तहसील सोहागपुर के समक्ष इस आशय का पेश किया है कि आवेदिका के सगे भाई क्लेन्सी वल्द गुलजार मसीह के नाम पर खसरा नम्बर- 116 सर्वे नम्बर- 333 प्लाट नम्बर- 15 रकवा- 5555 परिवर्तित भूमि सरदार वार्ड सोहागपुर में स्थित है। आवेदिका के पक्ष में क्लेन्सी के द्वारा एक वसीयतनामा दिनॉक- 06/11/2014 को निष्पादित किया है। क्लेन्सी मसीह की मृत्यु 28/10/16 को हो गई है। इस कारण क्लेन्सी मसीह के नाम की सम्पत्ति पर राजस्व रिकार्ड में आवेदिका का नाम लाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार सोहागपुर राजस्व निरीक्षक सोहागपुर से आवेदन के संबंध में प्रतिवेदन चाहा गया था जिसके पालन में राजस्व निरीक्षक सोहागपुर द्वारा अपना प्रतिवेदन स्थल निरीक्षण सहित पेश किया गया है। जिसके तहत् सम्पूर्ण भूमि के संबंध में स्थिति को स्पष्ट करते हुये भी वंश वृक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसमें पुनरीक्षणकर्तागण का नाम का भी उल्लेख किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में पुनरीक्षणकर्तागण इस सम्पत्ति पर काबिज हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इश्तहार जारी होने पर पुरीक्षणकर्तागण द्वारा न्यायालय में प्रारंभिक रूप से आपत्ति प्रस्तुत की थी जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना गुण दोषों पर विचार किये एवं साक्ष्य एवं दस्तावेजो के प्रस्तुत करने के महत्वपूर्ण अधिकारों का हनन करते हुये दिनॉक- 22/01/19 को आपत्तिकर्तागणों की आपत्ति निरस्त कर दी है। जिसके परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षणकर्तागण पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आपत्तिकर्ता ग्लेडविन मसीह की मृत्यु दिनॉक- 21/12/2018 को होने के कारण उसके वारसानों को

XXXIX(a)-BR (H)-10

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक R-448/2019/होशंगाबाद/Rev.

गलेडिवेन विरुद्ध दयावती

तहसील .... जिला ....

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक........ जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक........

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक........ तहसील का प्रकरण क्रमांक........

वाद का विषय ....

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला .... के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक........ के विरुद्ध श्री ललित शर्मा के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन–पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है। पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/नहीं है/मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/........ रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं / नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है / नहीं दिया है। प्रस्तुतकार	
29-3-2019	आवेदक अधि. श्री ललित शर्मा उप.। उनके द्वारा प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस चाहा। प्रकरण आवेदक के निवेदन पर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाता है। अध्यक्ष	

[पीछे देखिये

सक्षम न्या.

रीडर